# न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 94 / 2019

राधेश्याम पुरोहित पुत्र स्व. श्री पूरनाराम ग्राम फतेहपुर कलां, पो0 मूडौती, तह. नगर

बनाम

उपखण्ड अधिकारी, नगर।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

## आदेश

**दिनांक 03.10.2019**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट श्री राधेश्याम पुरोहित पुत्र स्व. श्री पूरनाराम ग्राम फतेहपुर कलां, पो0 मूडौती, तह. नगर जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जरिये प्रार्थना पत्र 01.08.2019 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी नगर से सूचना चाही गयी थी। उपखण्ड अधिकारी नगर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र क्रमांक /कोर्ट /780 दिनांक 16.09.19 से उपखण्ड अधिकारी नगर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। उपखण्ड अधिकारी नगर से कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं उपखण्ड अधिकारी नगर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी नगर से उक्त सूचनांऐं दिलायी जाने की प्रार्थना की

है। इस सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी नगर से कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ है, जो गंभीर बात है। उपखण्ड अधिकारी नगर से जबाब प्राप्त नहीं होना यह जाहिर करता है कि अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी को अन्दर 30 दिवस कार्यवाही कर सूचना उपलब्ध कराये जाने का प्रावाधान है। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नगर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को वांछित सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे। अपील स्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति पालनार्थ उपखण्ड अधिकारी नगर को प्रेषित की जावे एवं सूचनार्थ अपीलांट को प्रेषित हो।

**(डॉ. जोगा राम)**
**जिला कलक्टर**
**भरतपुर**